

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)नि.प.(23/2013)/अलेसे-III/ 396

दिनांक : 26-03-2021

आदेश संख्या-368 2020-21

विभागीय आदेश संख्या 63/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री विकास शर्मा (मेरिट संख्या 23/लिंग नं.-10096) को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर में किया गया था, जिसकी अनुपालना में श्री शर्मा द्वारा दिनांक 03.07.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया था। कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर के पत्रांक 6296 दिनांक 22.03.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित स्कूल प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) परीक्षा-2018 में चयन होने पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/मा./संस्था/सी-2/इति-वाणि/नियुक्ति-इतिहास/पीएसी-2018/2021 दिनांक 18.03.2021 द्वारा श्री शर्मा का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, झालरापाटन में होने पर कनि. लेखाकार पद से कार्यमुक्त होने हेतु कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्री शर्मा को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु कनिष्ठ लेखाकार के पद से कार्यमुक्त करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री विकास शर्मा नियमानुसार वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त के होने पश्चात् नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर सकेंगे। नियमानुसार श्री विकास शर्मा का कनिष्ठ लेखाकार पद पर पदाधिकार रहेगा।

उक्त स्वीकृति निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित है।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6)नि.प.(23/2013)/अलेसे-III/ 396

दिनांक : 26-03-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष.....।
4. संबंधित कोषाधिकारी.....।
5. श्री विकास शर्मा, कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं COINS में रिकॉर्ड संधारण हेतु।
7. संयुक्त निदेशक (विधि), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. श्री सुशील कुमार नाटाणी, अतिप्रशासकी अधिकारी (कार्मिक-III) को ईकजाई रिकार्ड संधारण हेतु।
10. डीलिंग सहायक, वरिष्ठता सूची सीट।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)